राजस्व वाद संख्या 36/2024
उनवान ईमियो देवी बनाम प्रभुराम वगैरा

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम सेड़वा जिला बाड़मेर
व इजलास श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. ईमियो देवी पत्नि हरखाराम पुत्री हीराराम जाति नाई, निवासी बोली, पनोरिया, तहसील सेड़वा हाल निवासी डवोई, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।		1. प्रभुराम पुत्र हीराराम जाति नाई, निवासी बोली, पनोरिया 2. वीरादेवी पत्नि नेनाराम पुत्री हीराराम 3. केसीदेवी पत्नि केहराराम पुत्री हीराराम 4. गंगा पत्नि भवराराम पुत्री हीराराम जाति नाई निवासी बोली, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 5. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. शाखा साता जिला बाड़मेर। 6. तहसीलदार व उपपंजीयक सेड़वा, जिला बाड़मेर।

मुकदमा नम्बर : 36/2024
दावा बाबत् : राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,40,188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

ईमियो देवी बनाम प्रभुराम वगैरा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रू–ब–रू पक्षकारान व हाजरी उपस्थित मिनजानिव मुद्दई **वादीनी वकील श्री मांगीलाल जयपाल उपस्थित एवं** मनजानिव मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है और डिक्री किया जाता है कि **खेत मौजा बोली पटवार मण्डल पनोरिया में खेत खसरा संख्या 692/299 रकबा 12.0084 हैक्टेयर किस्म बा0सोयम में वादीनी का 1/5 वां हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का प्रत्येक का 1/5 वां हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जाता है।**

अतः तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद कर पालना सुनिश्चित करे। डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से दिनांक 17.01.2025 को जारी की गई।

17.01.2025
(बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

सहायक कलक्टर सेड़वा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1 वाद के लिए स्टाम्प		शास्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शास्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्ष्यों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्ष्यों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामिल	
6 कमिश्नर की फीस		[illegible]	
7 आदेशिका की तामिल			
जोड़			

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:44:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 36/2024
पीठासीन अधिकारी –श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस

उनवानः–

वादीनी – 1. ईमियो देवी पत्नि हरखाराम पुत्री हीराराम जाति नाई, निवासी बोली, पनोरिया, तहसील सेड़वा हाल निवासी डबोई, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण – 1. प्रभुराम पुत्र हीराराम जाति नाई, निवासी बोली, पनोरिया, तहसील सेड़वा
2. वीरादेवी पत्नि नेनाराम पुत्री हीराराम जाति नाई, निवासी बोली, पनोरिया
3. केसीदेवी पत्नि केहराराम पुत्री हीराराम जाति नाई, निवासी बोली, पनोरिया
4. गंगा पत्नि भवराराम पुत्री हीराराम जाति नाई निवासी भीमगुड़ा, हाल सांचोर
5. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. शाखा साता जिला बाड़मेर।
6. तहसीलदार व उपपंजीयक सेड़वा, जिला बाड़मेर।

अधिवक्तागण – वादीनी वकील – **श्री मांगीलाल जयपाल**

सहायक कलक्टर सेड़वा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,40,188 व 209 RT Act.

निर्णय दिनांकः– 17.01.2025

वादीनी द्वारा पेश वाद का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि वादीनी की पैतृक व पुश्तैनी भूमि पटवारी मण्डल पनोरिया मौजा बोली में खेत खसरा संख्या 692/299 रकबा 12.0084 हैक्टर किस्म बा0सोयम का आया हुआ है। वादीनी तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 04 जाति नाई होन से हिन्दू विधि से शासित है। वादीनी व प्रतिवादी संख्या 01 से 04 एक ही परिवार के सदस्य हैं। वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेण्ट से वादीनी के दादा अखाराम के नाम दर्ज हुई थी, वादीनी के दादा अखाराम के फौत होने के वादीनी के पिता हीराराम के नाम उक्त आराजी में नाम दर्ज हुआ था। वादीनी के पिता हीराराम के फौत होने से प्रतिवादी संख्या 01 यानि प्रभुराम के नाम से सम्पूर्ण आराजी दर्ज हुई है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में वादीनी का 1/5 वां हिस्से में रकबा 2.4016 हैक्टेयर अर्थात 14.17 बीघा व प्रतिवादीगण 1 से 04 प्रत्येक का 1/5 वां हिस्से में 2.4016 हैक्टेयर अर्थात 14.17 बीघा भूमि आती है। उपरोक्त खसरों की भूमि पैतृक, पुश्तैनी एवं मितक्षरा सहदायिकी भूमि होने से वादीनी [illegible] खसरों की भूमि में जन्म से हक हिस्सा उत्पन्न हो गया है, इस कारण से वादीनी [illegible] पनोरिया मौजा बोली में खेत खसरा संख्या 692/299 रकबा 12.0084 [illegible] में वादीनी का 1/5 वां हिस्सा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:44:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

P.T.O (1)

वादी संख्या 01 से 4 का प्रत्येक का 1/5 वां हिस्सा संयुक्त खातेदारी में होता है। राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा एवं परिपत्र क्रमांक प. 5 (1) राजस्व–6/97/18 दिनांक 08.01.2007 द्वारा यह स्पष्ट आदेश पारित किया है कि विभागीय परिपत्र दिनांक 08.09.1997 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि पुत्र/पौत्र को अपने पिता/दादा की पैतृक , पुश्तैनी भूमि पर जन्म से ही अधिकार है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में पिता/दादा की पैतृक सम्पति में पुत्र/पुत्री/पौत्र/प्रपौत्र का जन्म से ही अधिकार होता है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की शामलाती भूमि है। इसलिए प्रत्येक सहदायिकी के सदस्यों का प्रत्येक इंच पर समान रूप से हक व हिस्सा होता है, जिसमें अजनबी खरीददार को बिना सहमति के वादीनी के हक व हिस्से की भूमि को बेचने का अधिकार प्रतिवादी संख्या 1 को नहीं है और न ही अजनबी खरीददार कब्जा कर सकते हैं, और न ही काश्त कर सकते हैं तथा न ही उपयोग व उपभोग में ले सकते हैं और न ही रिकॉर्ड में परिवर्तन कर सकते हैं। राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज है। दर्ज होने के नाते दौराने दावा व वादीनी की जानकारी के बिना उपरोक्त खसरों की भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 वादीनी की बिना सहमति के वादीनी के हक व हिस्से की जमीन अजनबी खरीददार को बैचान कर दिया तो सहदायिकी एवं खातेदारी की भूमि का किसी अजनबी खातेदार को किया गया, तो बेचान शून्य होता है। जिसके आधार पर खरीददार का कोई हक उत्पन्न नहीं होगा। वर्तमान में भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से भूमि पर बैंक से लोन एवं किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण का फायदा उठाते हैं। भूमि का आपसी/बाहमी बंटवारा किया हुआ है। बाहमी बंटवारा अनुसार अपने–अपने हिस्सों में खेती कार्य कर रहे हैं, वादीनी नाम से भूमि नहीं होने से कृषि विकास कार्य एवं बैंक से ऋण प्राप्त करने वंचित रह जाती हैं, प्रतिवादी संख्या 01 बैंक लोन आदि सरकारी फायदा अकेला उठा रहा है। आज से बीस रोज पूर्व वादीनी ने अपने कृषि कार्य विकास हेतु प्रतिवादी संख्या 01 से ऋण लेकर कृषि विकास हेतु सहयोग करने के लिए कहा तब प्रतिवादी संख्या 01 ने मना कर दिया, जमीन से बेदखल करने की धमकियां दे रहा है तथा उक्त खसरों की भूमि को अजनबी क्रेता को बेचान/हस्तान्तरण करने के लिए आमादा है। प्रतिवादी संख्या 01 ने अजनबी क्रेता को बेचान करने के लिए उक्त भूमि दिखाई और वादीनी को अपने हिस्से की भूमि से वंचित/महरूम रखना चाहता है। वादीनी को मना करने पर वादीनी द्वारा गांव के मौजिज लोगों को ले जाकर प्रतिवादी संख्या 01 को मनवाने की कोशिश की, तो प्रतिवादी संख्या 01 मान नहीं रहा है। इसलिए वादीनी को यह वाद पेश करना लाजमी हो गया है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर पटवार मण्डल पनोरि[illegible] बोली में खेत खसरा संख्या 692/299 रकबा 12.0084 हैक्टेयर किस्म बा0सोयम में वादीनी का 1/5 हिस्सा खातेदारी में घोषित करवाने के अधिकारी है। वादीनी अपने पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:44:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर सेड़वा

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

P.T.O.

(2)

...धिकारी है कि पटवार मण्डल पनोरिया मौजा बोली में खेत खसरा संख्या 692/299 रकबा 12.0084 ...क्टेयर किस्म बा0सोयम में वादीनी का 1/5 वां हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का प्रत्येक का 1/5 वां हिस्सा की भूमि आती है। वादीनी के उपरोक्त वर्णित हिस्सो में प्रतिवादीगण एवं उनके परिवार के सदस्य किसी प्रकार की दखलदाजी नहीं करे और न ही वादीनी के हिस्से पर जबरन कब्जा करें ओर न ही मौके की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन करें। पटवार मण्डल पनोरिया मौजा बोली में खेत खसरा संख्या 692/299 रकबा 12.0084 हैक्टेयर किस्म बा0सोयम में वादीनी का 1/5 वां हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का प्रत्येक का 1/5 वां हिस्सा की खातेदारी घोषित किया जावे।

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से न्यायालय के पर्याप्त अवसर के बाद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः उनके विरूद्व एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई।

वादीनी वकील ने वादी साक्ष्यों में PW-1 में ईमियो देवी पत्नि हरखाराम जाति नाई निवासी बोली (पनोरिया) हाल निवास डबाई तहसील धोरिमन्ना जिला बाड़मेर का शपथ–पत्र, PW-2 में रावताराम पुत्र अरजंराम जाति नाई निवासी बोली (पनोरिया) तहसील सेड़वा का शपथ–पत्र तथा दस्तावेजी साक्ष्यों में **प्रदर्श–01** नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति, **प्रदर्श–02** जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संवत् 2076–79, **प्रदर्श–03** खसरा नक्शा व जमाबन्दी खसरा संख्या 692/299 रकबा 12.0084 हैक्टेयर, **प्रदर्श–04** वादीनी का जन आधार कार्ड की प्रति तथा **प्रदर्श–05** वादीनी के आधार कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति न्यायालय में पेश की गई। जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर प्रार्थीनी के अधिवक्ता ने बहस की। प्रार्थीनी अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से चिन्तन–मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त विचारण उपरांत, प्रार्थीनी का वाद संख्या 36/2024 उनवान ईमियो देवी बनाम प्रभुराम वगैरा अन्तर्गत धारा 88, 40, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त साक्ष्यों, तथ्यों के विवेकसंगत अवलोकन तथा विचारण के आलोक में खेत मौजा बोली पटवार मण्डल पनोरिया में खेत खसरा संख्या 692/299 रकबा 12.0084 हैक्टेयर, किस्म बा0सोयम में वादीनी का 1/5 वां हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का प्रत्येक का 1/5 वां हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:44:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर सेड़वा

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

P.T.O.

राजस्व वाद संख्या 36/2024
उनवान ईमियो देवी बनाम प्रभुराम वगैरा

...लदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद ...र पालना सुनिश्चित करें। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 17.01.2025 को खुले न्यायालय में सरे इज़लास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

17.01.2025

(बद्रीनारायण बिश्नोई, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी सेड़वा

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

सहायक कलक्टर
सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:44:56 IST
Reason: SelfAttested